न्यायालय—अवर न्यायाधीश, बलिया (बेगूसराय)।

स्वत्व वाद संख्या— 71/2021

मो0 अलाउद्दीन .... वादी

बनाम

मो0 हातिम .... प्रतिवादी

दिनांक	आदेश	
11.06.2026	वाद पुकारा गया। वादी और प्रतिवादी की ओर से कार्यप्रदाज के द्वारा हाजरी दी गई। वादी की ओर से दिनांक 07.04.2026 को वाद—वापसी के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद वापसी आवेदन को प्रचालित किया गया। वादी अपने आवेदन दिनांक 07.04.2026 अन्दर आदेश 23 नियम 01 के तहत दाखिल कर निवेदन करते है कि दोनों पक्षों के बीच दिनांक 10.12.2025 तथा दिनांक 30.03.2026 को ग्रामीण पंचों के उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है तथा समझौता के फैसले पर अपनी स्वेच्छा से दोनों पक्षों ने अपना—अपना हस्ताक्षर किया है, अब कोई विवाद वादी और प्रतिवादीगण के बीच नहीं रहा इसलिए वादी प्रस्तुत वाद आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। वर्तमान वाद को वाद वापसी के आधार पर निष्पादित करने की अनुमति दी जाय। प्रतिवादी को समझौते के आधार पर वाद—वापस किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों को सुना गया। वादी के आवेदन पर सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद वर्तमान में सुनवाई के लिए नियत है। इसी दौरान वादी की ओर से वाद—वापसी आवेदन दाखिल किया गया है। वादी स्वतः वाद वापस लेना चाहते है। वादी द्वारा स्वेच्छा से वाद वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का वाद—वापसी आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायहित में है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी के वाद वापसी आवेदन **अन्दर आदेश 23 नियम 01** दिनांक **07.04.2026** को न्यायहित में इस शर्त के साथ वाद वापस लेने का आदेश दिया जाता है कि वादी भविष्य में पुनः इस वाद भूमि और प्रतिवादी के विरूद्ध मुकदमा दायर नहीं करेगा। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे। लेखापित **Sd/-** अवर न्यायाधीश, बलिया, बेगूसराय।	

Date of judgement/ Order	**11.06.2026**
Date of Reserving judgement/Order	NA
Uploading Date	**12.06.2026**
Uploaded by	Gunjan Kumar (Stenographer)